

(प्रारूप-“ब”)
समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम आत्माराम मुरारका अध्यक्ष एवं ओम प्रकाश पाण्डेय सचिव गनपत सहाय डिग्री कालेज, सुलतानपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

- अ. गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर का संचालन किया जा रहा है।
- ब. गनपत सहाय कालेज ऑफ फार्मसी, सुलतानपुर का संचालन किया जा रहा है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है:-

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में।
1	2	3	4	5
1	पयागीपुर, सुलतानपुर।	331ख	0.0150	0.0150हे0
2	पयागीपुर, सुलतानपुर।	343	0.9310	0.9310हे0
3	पयागीपुर, सुलतानपुर।	341मि0	0.6510	0.6510हे0
4	पयागीपुर, सुलतानपुर।	336	0.2420	0.2420हे0
5	पयागीपुर, सुलतानपुर।	326मि0	0.1010	0.1010हे0
		5 किता	1.9400	1.9400हे0

धारा-3 यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	गनपत सहाय कालेज ऑफ फार्मसी	9310 वर्ग मी0	पयागीपुर, सुलतानपुर	343	0.9310	0.9310हे0

(1)

(2)

2	गनपत सहाय पी0जी0 कालेज	10090 वर्ग मी0	पयागीपुर, सुलतानपुर।	331ख, 341मि0, 336, 326मि0.	1.009हे0	1.009हे0
---	------------------------	----------------	----------------------	----------------------------	----------	----------

धारा-4 यह कि उपरोक्त स्थिति संबन्धित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय ही है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


धारा-5 यह कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	कोई बदलाव नहीं।	-	-	-	-

धारा-6 यह कि भविष्य में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा-7 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।


ह0 अध्यक्ष


ह0 सचिव